न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– श्री राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 60 /2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार कल्याणपुर		राज.सरकार

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 130,131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. प्रार्थी उपस्थित।
2. विप्रार्थी की ओर राज.पैरोकार।

आदेश

दिनांक 26/2/2024

1.संक्षिप्त में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम धतरवालो की ढाणी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 342/148 343/146 344/148 345/148 347/146 348/168 358/151 359/151 349/152 352/152 360/152 357/164 361/164 362/164 350/153 354/166 355/166 370/167 371/167 372/167 373/167 खाता नम्बर 01 राज.सरकार के खातें में इन्द्राज है। जबकि उक्त खसरान के खातेदारान द्वारा मौके पर कदीमी रास्ता चलने के कारण किस्म गै.मु.रास्ता राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवानें की मंशा के साथ ही भूमि राज.सरकार के पक्ष में समर्पण करवाई गई थी। लेकिन वर्णित खसरान राज.सरकार के नाम दर्ज हुई,लेकिन किस्म बा.अव्वल यथावत रहने के कारण प्रार्थी द्वारा किस्म बा.अव्वल के स्थान पर किस्म गै.मु.रास्ता दुरूस्त करवानें हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार की ओर निवेदन किया गया कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किए जाने पर आपति नहीं है।

3.उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन पत्र के तथ्यों को [illegible] बहस में निवेदन किया कि ग्राम धतरवालो की ढाणी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 342/148 343/146 344/148 345/148 347/146 348/168 358/151 359/151 349/152 352/152 360/152 357/164 361/164 362/164 350/153 354/166 355/166 370/167 371/167 372/167 373/167 खाता नम्बर 01 राज.सरकार के खातें में इन्द्राज है। उक्त प्रस्तावित रास्ता चारलाई कला राजकीय उच्च माध्यमिक विघालय से धतरवालों की ढाणी तक बारहमासी कदीमी रास्ता में उपयोग लिया जा रहा है। प्रस्तावित खसरान की भूमि का आम जन सार्वजनिक रास्ता के रूप में उपयोग–उपभोग किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 13:50:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

जा रहा है। उक्त खसरान के खातेदारान द्वारा वर्णित भूमियों को कदीमी रास्ता के रूप में उपयोग लिए जाने के कारण ही राज.सरकार के पक्ष में किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज करवाने के लिए भूमि समर्पण की गई थी। लेकिन वर्णित भूमिया राज.सरकार के खाते में इन्द्राज कर दी गई,किस्म यथावत रखी गई। जबकि वर्णित भूमिया का कदीमी रास्ता के रूप में उपयोग होने के कारण किस्म बा.अव्वल के स्थान पर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज किए जाने का आदेश फरमाया जावें।

4.विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार ने निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है,तो आपत्ति नही है।

5.हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड एवं दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम धतरवालो की ढाणी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 342/148 343/146 344/148 345/148 347/146 348/168 358/151 359/151 349/152 352/152 360/152 357/164 361/164 362/164 350/153 354/166 355/166 370/167 371/167 372/167 373/167 किस्म बा.अव्वल खाता नम्बर 01 राज.सरकार के खाते में इन्द्राज है। जबकि प्रार्थी स्वंय द्वारा वक्त बहस स्वीकार किया है कि उक्त वर्णित खसरान रकबा का आमजन द्वारा सार्वजनिक रास्ता के रूप में बारहमासी उपयोग लिया जा रहा है,लेकिन रेकर्ड में किस्म बा.अव्वल दर्ज है,उसके स्थान पर किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा है। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड जमाबंदी नक्शा अवलोकन से भी प्रतीत होता है कि प्रस्तावित खसरान रास्ता के रूप में तरमीम हो रखी है तथा प्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार कल्याणपुर ने भी स्वीकार किया है कि रेकर्ड में किस्म बा.अव्वल अशुद्ध दर्ज हो रखी है। ऐसी सूरत में किस्म बा.अव्वल के स्थान किस्म गै.मु.रास्ता दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

06.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी प्रस्तावित खसरान भूमि की किस्म बा.अव्वल के स्थान किस्म गै.मु.रास्ता दुरूस्त करवाना का हकदार प्रतीत होता है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 130,131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–धतरवालो की ढाणी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 342/148 343/146 344/148 345/148 347/146 348/168 358/151 359/151 349/152 352/152 360/152 357/164 361/164 362/164 350/153 354/166 355/166 370/167 371/167 372/167 373/167 किस्म बा.अव्वल के स्थान पर किस्म गै.मु.रास्ता दुरूस्त किए जाने [illegible] किए जाते है। तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है [illegible] अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 13:50:02 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 26.2.24 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा